रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13052026-272457
CG-DL-E-13052026-272457

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2238]	नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 8, 2026/वैशाख 18, 1948
No. 2238]	NEW DELHI, FRIDAY, MAY 8, 2026/VAISAKHA 18, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 2026

का.आ. 2329(अ).— जबकि, केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3483(अ), दिनांक 27.07.2025 के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 543 भाग को मध्य प्रदेश राज्य सरकार को सुपुर्द कर दिया है;

अतः, अब, समय समय पर संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 (जिसे इसके पश्चात "नियम" कहा जाए), के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतदद्वारा, मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 543 के डिजाइन किलोमीटर 0+000 से किलोमीटर 41+210 तक बालाघाट-गोंदिया खंड के चार लेन के उपयोग के लिए नीचे दी गई तालिका (1) के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 23.703 कि.मी. (सारणी 2) की निवल सड़क खंड लंबाई तथा 11.491 किमी [1.149 किमी की लंबाई वाली (सारणी-4]) समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लम्बाई वाली) के लिए पर सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर और 10 करोड़ रू. या उससे अधिक की लागत वाले 16.358 कि.मी. (सारणी 3) लंबाई वाले बाईपास के लिए आधार दर के डेढ़ गुना पर शुल्क उद्गृहीत करती है एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात:-

सारणी-1	
वाहन का प्रकार	**आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार शुल्क दर (रुपए में)**
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्गृहीत और संग्रहीत शुल्क, ऐसे शुल्क प्लाज़ाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निवल सड़क खंड लंबाई हेतु निम्नलिखित शुल्क प्लाज़ाओं में देय और संदेय होगी, अर्थात;

सारणी 2		
शुल्क प्लाजा का स्थान (चेनेज)	**लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है**	**दर जिस पर शुल्क संदेय है**
	23.703 कि.मी. [बाईपास की लंबाई (जिनकी लागत 10 करोड़ से अधिक) और (>60 मीटर) संरचनाओं की लंबाई को छोड़कर]	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाज़ा पर 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले बाईपास के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क भी देय होगा, जो ऐसे शुल्क प्लाज़ा के लिए विनिर्दिष्ट निवल बाईपास लंबाई के लिए होगा:

सारणी-3

शुल्क प्लाज़ा का स्थान (चेनेज)	**बाईपास का नाम**	**पर आरंभ होते हुए**	**पर मिलते हुए**	**बाईपास की लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है (60 मीटर से अधिक लंबाई वाली संरचनाओं की को छोड़कर)**		**दर जिस पर शुल्क संदेय है**
				लंबाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ रुपए में)	
मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में मर्री गाँव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 543 के किमी 24+555 पर	बालाघाट	0.000	17.032	16.358	226.27	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
	कुल लंबाई			**16.358**		

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाज़ा (प्लाज़ाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा:

सारणी-4			
शुल्क प्लाज़ा का स्थान (चेनेज)	**सड़क की लंबाई के समान परिवर्तित बुनियादी ढांचा की लंबाई* (कि.मी. में)**	**समकक्ष सड़क लंबाई (कि.मी. में)**	**दर जिस पर शुल्क संदेय है**
मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में मर्री गाँव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 543 के किमी 24+555 पर	1.149^	11.49	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

^विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	**चेनेज**		**संरचना का प्रकार**	**लंबाई (में .मी.कि)**
1.	7.150	7.250	रेलवे ओवर ब्रिज	0.099
2.	13.709	14.134	बड़ा पुल	0.425
3.	16.096	16.246	रेलवे ओवर ब्रिज	0.150
4.	27.791	27.991	बड़ा पुल	0.200
5.	32.170	32.445	बड़ा पुल	0.275
कुल				**1.149**

4. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और शुल्क प्लाज़ा से बीस कि.मी. की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2026-27 के लिए 350.00/-रूपए (तीन सौ पचास रूपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अध्यधीन है।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी-5		
संदेय धनराशि	**अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या**	**विधिमान्यता की अवधि**
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

6. शुल्क प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के

प्रवेश के लिए, कथित नियमों के नियम 10 के अनुसार अनुप्रयोज्य शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

8. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि और छूटों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 887.29 करोड़ रुपए है। चूंकि भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, इत्यादि कामों को अभी पूरा किया जाना है, इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है। प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. आरओ /बीपीएल /टोल शुल्क अधिसूचना/मारी/NH-543/ई -266745]

चेतना नन्द सिंह, अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th May, 2026

S.O. 2329(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 3483 (E), dated 28.07.2025, issued under Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted the New National Highway 543 stretch in the State of Madhya Pradesh to the State Government of Madhya Pradesh.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highway Fee (Determination of Rates and Collection) Rule, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the “rules”), the Central Government hereby levies the fee at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 23.703 km [Table-2] and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 11.491 km (having length of 1.149 km [Table-4]) and at one and half times the base rate for bypasses having length of 16.358 km [Table-3] costing rupees ten crore or more on the type of vehicle specified in column (1) of the Table 1 below for the use of four lane of Balaghat – Gondia Section from design kilometer 0+000 to kilometer 41+210 of National Highway Number 543 in the State of Madhya Pradesh to authorises the National Highways Authority of India to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1.The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Toll Plaza(s) namely:

Table-2		
Location of Fee Plaza (Chainage)	**Length (in km) for which fee is payable**	**Rate at which fee is payable**
At Km. 24+555 of NH-543 Near village Marri in Balaghat District of Madhya Pradesh	23.703 Km. [Excluding length of Bypass (costing>10 Cr.) and length of structure (> 60m length)	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza(s) :-

Table-3						
Location of Fee Plaza (Chainage)	**Name of the Bypass**	**Taking Off**	**Merging at**	**Length and Cost of bypass for which additional fee is payable** (Excluding length of structure > 60m length)		**Rate at which fee is payable**
				Length (in Km.)	**Cost (In Rs. Crore)**	
At Km. 24+555 of NH-543 Near village Marri in Balaghat District of Madhya Pradesh	Balaghat	0.000	17.032	16.358	226.27	150% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
Total length				**16.358**		

3. In addition to above, the following fee shall be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10:-

Table-4			
Location of Fee Plaza (Chainage)	**Length of Structure (in km) to be converted into equivalent road length**	**Equivalent road length (in km)**	**Rate at which fee is payable**
At Km. 24+555 of NH-543 Near village Marri in Balaghat District of Madhya Pradesh	1.149^	11.49 km.	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

^ Details are as under-

Structure on Road Length in Kms.				
S. No.	**Chainage**		**Type of Structure**	**Length (in km)**
	From Km	**To Km**		
1	7.150	7.250	Railway Over Bridge	0.099
2	13.709	14.134	Major Bridge	0.425
3	16.096	16.246	Railway Over Bridge	0.150
4	27.791	27.991	Major Bridge	0.200
5	32.170	32.445	Major Bridge	0.275
			Total	**1.149**

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance to twenty kilometers from the fee plaza is Rs. 350.00 (Rupees Three Hundred Fifty Only) for the year 2026-27 and is subject to revision every year as per the provision of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-5

Amount Payable	**Maximum number of one way journeys allowed**	**Period of validity**
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty-four hours from the time of payment.
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in rule 10 of the said rules.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said Rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

10. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the National Highways Authority of India on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 887.29 crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed. The National Highways Authority of India shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. RO/BPL/TollFeeNotification/Marri/NH-543/E-266745]

CHETNA NAND SINGH, Secretary

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.05.13 10:23:48 +05'30'